राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः प. 10(1)शिक्षा–1/08 जयपुर, दिनांक 21-11-2008

प्राचार्य,

....

....

....

विषय :– शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय को किराये के भवन से स्वयं के भवन में स्थानान्तरण बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद–एनआरसी, जयपुर द्वारा इस विभाग को सूचित किया है कि जो शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय किराये के भवन मे संचालित है वे शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के माध्यम से स्वयं द्वारा निर्मित भवन में स्थानान्तरित नहीं करते है तो उन महाविद्यालयों की आगामी सत्र से मान्यता रद्द कर दी जायेगी।

अतः राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद–एनआरसी के निर्देशानुसार समस्त संस्थाओं द्वारा दिनांक 31.3.09 संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर ही यथा आवश्यक भवन निर्माण कराकर एनसीटीई से नवीन भवन की उपयुक्तता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही सत्र 2009–10 के लिए संस्था के अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जायेगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को आपकी संस्था की मान्यता समाप्त करने हेतु विभागीय अनुशंषा भी कर दी जायेगी। अतः समस्त संस्थायें निम्न दस्तावेज दिनांक 31.3.09 तक आवश्यक रूप से राज्य सरकार को प्रस्तुत करने की सुनिश्चितता करें :–

1. संस्था के नाम भूमि का स्वामित्व अथवा 30 वर्ष की पंजीकृत लीज डीड की प्रति।
2. सक्षम स्तर पर भवन का अनुमोदित नक्शा, भूमि उपयोग परिवर्तन प्रमाण पत्र
3. भवन पूर्णता का प्रमाण पत्र, सुरक्षा प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र
4. संस्था द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों का विवरण अनुमोदित सीट, अन्य शैक्षिक गतिविधियों का विवरण मय शपथ पत्र
5. यदि संस्था के भवन में एक से अधिक पाठ्यक्रम संचालित है तो पाठ्यक्रम अनुसार चिन्हित क्षेत्र को इंगित करते हुए यह शपथ पत्र प्रस्तुत करे कि शिक्षक शिक्षा के चिन्हित क्षेत्र में अन्य गतिविधियां संचालित नहीं है।
6. नवीन भवन का निर्माण कराया गया है तो यदि संस्था द्वारा एनसीटीई से अनुमति पत्र भी संलग्न करें।

उपरोक्त बिन्दुओं में वर्णित अंकित अनुसार का सत्यापन संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमि से करवाकर इस विभाग में दिनांक 31.3.09 तक प्रस्तुत करने पर ही आपकी संस्था का सत्र 2009–10 के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया जाता है कि सत्र 2009–10 की काउंसलिंग में संस्थाओं को छात्र आवंटन करने से पूर्व दिनांक 15.5.09 तक संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता पत्र की प्रति प्रस्तुत करने पर ही छात्र आवंटन की प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा सकेगा।

भवदीय

उप शासन सचिव, प्रथम

प्रतिलिपि : संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक .... को सूचनार्थ प्रेषित है।
निदेशक/उपनिदेशक मा. शिक्षा ...

उप निदेशक, सां0

शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के सत्र 2009–10 के नवीनीकरण हेतु महाविद्यालय से संबंधित प्रेषित की जाने वाली सूचना का प्रपत्र

1	महाविद्यालय का नाम व पूर्ण पता मय दूरभाष नं0	
2	संस्था का नाम पंजीयन कमांक व पता जिसके अधीन महाविद्यालय संचालित है।	
3	महाविद्यालय के अन्तर्गत संचालित पाठयकमों का विवरण सहशिक्षा / महिला	
4	महाविद्यालय परिसर में शिक्षक शिक्षा पाठयकमों के अतिरिक्त अन्य शैक्षणिक गतिविधियां संचालित है तो उनका विवरण।	
5	शिक्षक शिक्षा पाठयकमों के लिये एनसीटीई से प्राप्त मान्यताओं का विवरण (मान्यता आदेश की प्रति संलग्न करें)	कमांक / दिनांक / अनुमोदित सीटों की संख्या
6	महाविद्यालय में खेल मैदान की सुविधा उपलब्ध है अथवा अन्य विद्यालय के खेल मैदान का उपयोग लिया जा रहा है।	
7	महाविद्यालय में कम्प्यूटर प्रयोगशाला, इन्टरनेट आदि की सुविधा उपलब्ध है या नहीं।	
8	महाविद्यालय में छात्रावास की सुविधा है या नहीं। यदि है तो प्रति छात्रा / छात्र से आवास हेतु कितनी राशि प्रतिमाह / सत्र हेतु ली जा रही है।	
9	महाविद्यालय द्वारा छात्र / छात्राओं का शैक्षिक भ्रमण कराया गया, यदि हां तो प्रति छात्र / छात्रा से ली गई राशि का विवरण	
10	महाविद्यालय में छात्र एवं छात्राओं के लिए पृथक–पृथक से पेयजल, शौचालय आदि की आधारभूत सुविधायें उपलब्ध है या नहीं।	
11	क्या छात्र / छात्राओं हेतु महाविद्यालय द्वारा ही गणवेश निर्धारित राशि पर उपलब्ध कराई जाती है ?	
12	क्या छात्र / छात्राओं हेतु महाविद्यालय द्वारा ही स्टेशनरी निर्धारित राशि पर उपलब्ध कराई जाती है ?	
13	महाविद्यालय द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु आवेदन कर दिया गया है तथा विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक निरीक्षण किया गया उसका विवरण।	

<table>
<tr><td>14</td><td>क्या संस्था द्वारा महाविद्यालय के लिए राज्य सरकार से स्थाई मान्यता निर्धारित शुल्क जमा कराकर प्राप्त करना चाहती है या नहीं ?</td><td></td></tr>
<tr><td>15</td><td>सत्र 2008–09 में नियुक्त शैक्षिक / गैर शैक्षिक स्टाफ का विवरण एवं उनको किये गये वेतन भत्तों का विवरण</td><td><table><tr><td>कर्मचारी का नाम</td><td>पद</td><td>शैक्षिक / प्रशैक्षिक योग्यता</td><td>मासिक वेतन</td><td>सत्र में कुल भुगतान की गई राशि</td><td>बैंक का नाम खाता संख्या</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td rowspan="2">16</td><td>संचालित महाविद्यालय की भूमि का स्वामित्व सरकारी है या निजी, का विवरण पंजीकृत दस्तावेज की प्रति।</td><td></td></tr>
<tr><td>भूमि उपयोग परिवर्तन का सक्षम प्रमाण पत्र</td><td></td></tr>
<tr><td>17</td><td>महाविद्यालय के भवन का अनुमोदित नक्शा एवं भवन पूर्णता का प्रमाण पत्र</td><td></td></tr>
<tr><td>18</td><td>महाविद्यालय यदि किराये के भवन में संचालित था तो संस्था को स्वयं के भवन में स्थानान्तरित करने का एनसीटीई का पत्र</td><td></td></tr>
<tr><td>19</td><td>महाविद्यालय के लिए आवंटित भूमि का क्षेत्रफल, निर्मित क्षेत्रफल, पाठ्यक्रम / गतिविधि अनुसार निर्मित क्षेत्रफल का विवरण(वर्गमीटर में)</td><td></td></tr>
<tr><td>20</td><td>निर्मित कक्षा कक्षों की संख्या एवं कक्षा कक्षों का न्यूनतम क्षेत्रफल</td><td></td></tr>
<tr><td>21</td><td>बहुद्देश्यीय हॉल की सुविधा, क्षेत्रफल आदि (वर्ग फीट में)</td><td></td></tr>
<tr><td>22</td><td>भवन, अग्निशमन आदि से संबंधित सुरक्षा प्रमाण पत्रों की प्रति</td><td></td></tr>
<tr><td>23</td><td>अन्य कोई सूचना जो महाविद्यालय द्वारा दिये जाने योग्य है, उसका विवरण</td><td></td></tr>
</table>

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था / महाविद्यालय से संबंधित सभी सूचना रिकॉर्ड के अनुसार सत्य है। संबंधित सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ संलग्न है।

सचिव,
संस्था का नाम / मय सील

सत्यापित संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य/प्रा.)
के हस्ताक्षर

प्रधानाचार्य,
संस्था का नाम / मय

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक प. 10(1)शिक्षा–1/2008 जयपुर, दिनांक 21-11-08

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान– बीकानेर।
2. समस्त उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा।

विषय :– निजी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों को वर्ष 2008–09 का प्रशिक्षण शुल्क उपलब्ध कराने के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य के निजी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में वर्ष 2007–08 में एम.एड./बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों से प्रवेश के समय अनाधिकृत शुल्क वसूल किये जाने की अनेक शिकायतें प्राप्त हो रही है, जबकि संस्थाओं की मांग पर प्रशिक्षण शुल्क में अपेक्षित वृद्धि कर प्रति प्रशिक्षणार्थी एम.एड. हेतु (18600+29) (शिक्षक प्रशिक्षण में अध्ययनरत **छात्र–छात्राओं के लिए सामूहिक विद्यार्थी दुर्घटना सुरक्षा बीमा लिए)** एवं बी.एड. हेतु **22400+29 (शिक्षक प्रशिक्षण में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के लिए सामूहिक विद्यार्थी दुर्घटना सुरक्षा बीमा लिए) =22,429/- रूपये** वार्षिक शुल्क निर्धारित की गई हैं जिसमें प्रशिक्षण से संबंधित सभी गतिविधियों की शुल्क सम्मिलित है। किसी प्रशिक्षणार्थी को छात्रावास में रहने के लिए बाध्य नहीं किया जाय, लेकिन जो प्रशिक्षणार्थी छात्रावास में रहना चाहते हैं उन्हीं से छात्रावास शुल्क लिया जाना चाहिए। प्रशिक्षणार्थियों से अनाधिकृत शुल्क वसूल किये जाने के संदर्भ में प्राप्त शिकायतों की जांच कराई जाकर दोषी संस्थाओं के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही के सुझाव भिजवाते हुए समन्वयक–पीटीईटी को निर्णय से अवगत कराने का श्रम करें ताकि शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों का वर्ष 2008–09 के शुल्क में कटौती की जाकर छात्रों को क्षतिपूर्ति करायी जा सकें। निम्नांकित बिन्दुओं की पूर्ति हो जाने के उपरान्त ही संस्थाओं को उपलब्ध कराया जावेगा :–

1. सभी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय द्वारा एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया जावे कि उन्होंने किसी भी प्रशिक्षणार्थी से निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क प्राप्त नहीं किया है।
2. शपथ पत्र में यह भी उल्लेख किया जावेगा कि संस्था द्वारा बी.एड. पाठ्यक्रम में लिए चिन्हित स्थान/भवन आदि (एन.सी.टी.ई. के निर्धारित मापदण्डानुसार) का अन्य पाठ्यक्रम/ कार्य हेतु उपयोग में नहीं लिया जा रहा है, समुचित सुविधाएं केवल निर्धारित पाठ्यक्रम के छात्रों के लिये ही उपलब्ध करायी गयी है।
3. संस्था में प्रवेश के समय यदि कोई अनाधिकृत शुल्क प्रशिक्षणार्थियों से वसूल किया गया है तो उसे अविलम्ब प्रशिक्षणार्थी को लौटाने की सुनिश्चितता करावें।
4. सम्बन्धित उप निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) से प्रमाण पत्र प्राप्त कर सलग्न किया जावे कि संस्था ने वर्ष 2008–09 में छात्र/छात्राध्यापिकाओं से किसी भी प्रकार का अनाधिकृत शुल्क वसूल/हॉस्टल में रहने के लिए बाध्य नहीं किया गया है। महाविद्यालय में निर्धारित मापदण्डानुसार आधारभूत सुविधाएं/भवन आदि उपलब्ध है तथा शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के स्वयं के भवन के संचालन की सुनिश्चितता हेतु, जो महाविद्यालय किराये के भवन में संचालित है, उनका विवरण निम्न प्रारूप में डेटाबेस तैयार करावें :–

क्र. सं.	जिला	शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय का नाम व पता	स्वयं के भवन में संचालित है या नहीं	विशेष विवरण (लीज की प्रति संलग्न करें)

5. इन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों को दिनांक 18.1.08 को प्रमुख शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निर्णयानुसार सत्र 2008–09 के शैक्षिक शुल्क का भुगतान किया जावेगा।

अतः राज्य मे संचालित निजी क्षेत्र के महाविद्यालयों की उपरोक्तानुसार शीघ्र जांच कराकर जांच प्रतिवेदन भिजवाने का कष्ट करें ताकि शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों को प्रवेश शुल्क का भुगतान किये जाने की कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

उप शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समन्वयक, पी.टी.ई.टी., जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
2. समन्वयक, राज्य स्तरीय एम.एड. प्रवेश पूर्व परीक्षा, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक, सां0